राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........09 / 2017.................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स कमल कॉमर्शियल व्हीकल्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	खण्डपीठ **श्री खेमराज, अध्यक्ष** **श्री के. एल. जैन, सदस्य**	
18 / 01 / 2017	अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र अपीलीय प्राधिकारी–द्वितीय, वाणिज्यिक कर, जोधपुर (जिसे आगे **'अपीलीय अधिकारी'** कहा जायेगा) के अपील संख्या 483 / अ.प्रा.– I I / सीएसटी / जयपुर / 2015–16 में पारित किये गये आदेश दिनांक 30.09.2016 के विरूद्ध राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे **'वेट अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 83 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपीलीय अधिकारी ने उक्त आदेश से वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर (जिसे आगे **'कर निर्धारण अधिकारी'** कहा जायेगा) द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलौच्य अवधि वर्ष 2012–13 के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (जिसे आगे **'केन्द्रीय अधिनियम'** कहा जायेगा) की धारा 9, 10(D), 10(A)(2)(a) सपठित वेट अधिनियम की धारा 55 के तहत पारित किये गये आदेश दिनांक 31.12.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील को अस्वीकार किया है। अपीलीय अधिकारी के उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलार्थी द्वारा यह अपील मय स्थगन प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करते हुए प्रकरण में बकाया मांग राशि रूपये 13,41,830 / – की वसूली के स्थगन हेतु निवेदन किया गया है। अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र पर बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान अभिभाषक श्री डी. कुमार ने कथन किया कि अपीलार्थी जो कि मोटर व्हीकल्स की रिपेयरिंग के लिये टाईल्स, फर्नीचर, प्लांट एवं मशीनरी, टूल्स व अन्य इलेक्ट्रिकल सामान का राज्य के बाहर से क्रय किया गया था, उस माल को कर निर्धारण अधिकारी द्वारा केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3) का उल्लंघन मानते हुए धारा 10ए के तहत शास्ति आरोपित की गई है साथ ही अन्तर्राज्यीय संव्यवहार में क्रय किये गये माल पर कर एवं ब्याज भी आरोपित किया गया जो विधिसम्मत नहीं है। तर्क दिया कि व्यवहारी द्वारा राज्य के बाहर से आयात किये गये माल स्पेयर पार्ट्स एवं वाहन के लोगो तथा कार्य प्रबंधन हेतु सॉफ्टवेयर उनके द्वारा वाहनों की रिपेयरिंग कार्य संविदा में कार्य हेतु होने से केन्द्रीय अधिनियम के किसी प्रावधान का उल्लंघन नहीं किया गया है अतः आरोपित कर, ब्याज एवं शास्ति विधिसम्मत नहीं होने से इसकी मांग राशि की वसूली पर स्थगन प्रदान किया जावे। **लगातार...............2**	

राजस्थान कर बोर्ड, अजमेर

अपील संख्या..........09 / 2017...................................... जिला ....जयपुर...

उनवान : मैसर्स कमल कॉमर्शियल व्हीकल्स प्रा0 लिमिटेड, जयपुर

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी, प्रतिकरापवंचन, जोन–तृतीय, जयपुर.

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज –: 2 :–	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
18 / 01 / 2017	विभागीय प्रतिनिधि विद्वान उप–राजकीय अभिभाषक द्वारा अपीलार्थी के स्थगन प्रार्थना–पत्र का विरोध करते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा जो माल खरीद किया गया है वह केन्द्रीय अधिनियम की धारा 8(3) एव (4) के अनुसार उपयोग का नहीं होने से इसे रियायती कर दर से माल की खरीद किया जाना विधिविरूद्ध है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा विधिक रूप से केन्द्रीय अधिनियम की धारा 10(A) के तहत शास्ति का आरोपण किया गया है। राज्य के बाहर से आयात किये गये माल पर कर एवं ब्याज आरोपित करने सम्बन्धी बिन्दु पर अपीलीय आदेश उचित बताया। उभयपक्ष की बहस सुनने, कर निर्धारण अधिकारी व अपीलीय अधिकारी के आदेश, अपील व स्थगन आधारों पर विचार किये जाने के उपरान्त, आरोपित **कर रूपये 4,75,832 / – एवं ब्याज रूपये 1,99,850 / –** की सीमा तक सुविधा संतुलन प्रथम दृष्टया अपीलार्थी कम्पनी के पक्ष में प्रतीत होता है, अतः **प्रकरण के गुणावगुण को प्रभावित किये बिना,** अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत स्थगन प्रार्थना–पत्र आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए उपरोक्तानुसार कर व ब्याज राशि की वसूली पर इस शर्त पर स्थगन स्वीकार किया जाता है कि अपीलार्थी इस आदेश प्राप्ति के 15 दिवस में कर निर्धारण अधिकारी के संतोष के अनुरूप, उनके समक्ष पर्याप्त जमानत (adequate security) प्रस्तुत करेंगे। अधीनस्थ न्यायालयों का अभिलेख तलब किया जावे। पक्षकारों को सूचित किया जावे। पत्रावली खण्डपीठ कैम्प–जयपुर के समक्ष दिनांक 24.04.2017 को पेश हो। सदस्य **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर** अध्यक्ष **राजस्थान कर बोर्ड** **अजमेर**	